न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार, RAS
निगरानी संख्या : 03/2019

1. हरिनारायण पुत्र शंकर, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–चन्दलोई, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. छाजूराम मीणा पुत्र हरिनारायण, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–चन्दलोई, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्तागण,

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत चन्दलोई, पंचायत समिति, चाकसू।
2. सीताराम पुत्र गोपीराम, जाति–बागडा ब्राम्हण, निवासी–चन्दलोई, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 विरूद्ध प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 03.03.2008 गैर कानूनी रूप से तत्कालीन सरपंच ने पट्टा जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये)

उपस्थितः–
1. श्री रामधन चौधरी, अभिभाषक, निगरानीकर्तागण की ओर से।
2. श्री ओ.पी. कुमावत, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.09.2019**

यह निगरानी ग्राम पंचायत चन्दलाई के द्वारा दिनांक 03.03.2008 को गैर–निगरानीकार सं0 2 के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने पर निगरानीकार द्वारा पेश की गई है। उक्त निगरानी पेश होने पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय), जयपुर द्वारा दिनांक 16.03.2015 को निर्णित होने पर निगरानीकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं0 5956/2015 उनवानी हरिनारायण बनाम अति. कलक्टर द्वितीय, जयपुर वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 द्वारा रिमाण्ड की जाने पर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में पुनः दर्ज की गई है।

उक्त निर्णय पारित होने पर निगरानीकार द्वारा निगरानी को पुनः रिकार्ड पर लेकर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई

Scanned by CamScanner

जाकर नोटिस गैर–निगरानीकार जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई, जो शामिल मिसल कराई गई।

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की एक बाडे की भूमि कदीम से प्रार्थी सं0 1 हरिनारायण के पिता के समय से उनके कब्जे चली आ रही है। जिसमें निगरानीकारगण अपने पशु बांधते है व रसोई आदि के काम में लेते आ रहे है। जिसके उपर टीनशेड लगा हुआ है तथा उसी के पास निगरानीकार की गोबर की रेवडी आदि भी पडी हुई है। विपक्षी सं0 2 सीताराम के बडे भाई घासीराम ने निगरानीकार सं0 1 व उसके परिजनों के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि बाबत् एक दावा वाद सं0 176/1976, 100/1979 न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 02.03.1982 को पेश किया गया। जिसमें सम्पति पर एकमात्र कब्जा निगरानीकारगण व उनके पूर्वजों का माना गया। निगरानीकारगण के परिजनों में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया और वादग्रस्त भूमि निगरानीकारगण के हिस्से में आयी। निगरानीकारगण अपनी कब्जेशुदा भूमि पर काबिज है, जिसकी जानकारी विपक्षी सं0 2 को रही है। विपक्षी सं0 1 द्वारा गैर–कानूनी रूप से प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 03.03.2008 तत्कालीन सरपंच ने सीताराम पुत्र गोपीराम के हित में पट्टा जारी कर दिया। उक्त निगरानी न्यायालय अति. कलक्टर, जयपुर द्वितीय के यहां दिनांक 16.12.2013 को प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अति. कलक्टर, जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 16.03.2015 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी निरस्त की गई थी। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में सिविल रिट पिटीशन सं0 5956/2015 उनवानी हरिनारायण व अन्य बनाम अति. जिला कलक्टर, जयपुर द्वितीय व अन्य दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विपक्षी सीताराम को जारी पट्टे दिनांक 03.03.2008 की वैधानिकता की जांच करते हुए प्रकरण रिमाण्ड करते हुए पुनः निर्णित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजों से ही भूमि का कब्जा होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा गैर–कानूनी रूप से विपक्षी सं0 2 को जारी पट्टे को निरस्त किया जावे।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार की एक बाडे की भूमि कदीम से प्रार्थी सं0 1 हरिनारायण के पिता शंकर के जमाने से उनके कब्जे में चली आ रही है। जिसमें वे अपने पशु बांधते है व रसोई बनाने आदि के काम में कदीम से लेते आ रहे है। वादग्रस्त आबादी भूमि की सीमा उत्तर दिशा में 45 फीट, उत्तर दक्षिण 61 फीट, पूर्व पश्चिम जिसके टीन शेड लगा हुआ है जिसमें एक तिबारी 17X10 फीट चली आ रही है तथा उसी के पास निगरानीकारगण की गोबर की

Scanned by CamScanner

रेवडी भी पडी हुई है। विपक्षी सं0 2 के बडे भाई घीसाराम ने निगरानीकार सं0 1 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.1982 को दावा निरस्त करते हुए एक मात्र कब्जा निगरानीकारगण व उनके पूर्वजों का माना है। वादग्रस्त सम्पति के कब्जे की जानकारी विपक्षी सं0 2 को प्रारंभ से रही है। परन्तु एक साजिशी व फर्जी कार्यवाही कर किसी संकल्प सं0 1 द्वारा दिनांक 03.03.2008 को विपक्षी सीताराम ने ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी निगरानीकार को सर्वप्रथम दिनांक 04.07.2013 को न्यायालय अति. कलक्टर, जयपुर द्वितीय के यहां स्थगन की बहस के दौरान जानकारी हुई। निगरानीकारगण का वादग्रस्त जमीन पर कदीम से कब्जा चला आ रहा है और वे ही सम्पति के मालिक है। उनकी सम्पति पर कानूनी रूप से पट्टा नही दिया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी निगरानीकारगण के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। निगरानीकार को जानकारी करने से विदित हुआ कि सीताराम तत्समय वार्ड सं0 13 का वार्ड पंच था इसलिये सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से हुई है। सरपंच ने पट्टा देते समय न तो कोई मौका देखा न ही कार्यवाही रजिस्टर बनाया सारी कार्यवाही फर्जी रूप से की गई है। विपक्षी ने जिन वार्ड पंचों की सहमति पट्टा देते समय होना बताई है उनके द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर फर्जी हस्ताक्षर होना जाहिर किया है तथा उन्होने ने अंकित किया है कि पट्टा देते समय उनकी कोई सहमति नही थी ना ही उन्हे सही बात बताई गई थी। उन्हे तो यह कहा गया था कि कोई पंचायत का कागज आया है इस पर हस्ताक्षर कर दो, यह कहकर उनसे हस्ताक्षर करवा लिये। गैर-कानूनी रूप से जारी पट्टे के संबंध में अति. कलक्टर, जयपुर द्वितीय द्वारा निगरानी अस्वीकार करने पर निगरानीकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन सं0 5956/2015 हरिनारायण बनाम अति. कलक्टर, जयपुर द्वितीय दायर की गई। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2018 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि क्या पट्टा दिनांक 03.03.2008 वैधानिक रूप से दिया गया है? क्या सीताराम को पट्टा दिनांक 03.03.2008 को दिये जाते समय उसका कब्जा था? सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में घासीराम जो सीताराम के बडे भाई थे द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि में उनका स्वामित्व एवं कब्जा नही माना है। दिनांक 11.08.1976 को मौके की जांच में मौका कमिश्नर द्वारा भी निगरानीकार का कब्जा होना माना है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जा कर प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 03.03.2008 को गैर-कानूनी रूप से सीताराम पुत्र गोपीराम के हित में जारी पट्टे को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार की जावें।

Scanned by CamScanner

विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी सं0 2 ने दौराने बहस कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2018 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रिमाण्ड में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण का निस्तारण जिला कलक्टर, जयपुर द्वितीय को ही करने का अधिकार है। माननीय न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध पत्रावली ट्रांसफर की गई है। जिसको पुनः निर्णित करने का क्षेत्राधिकार अति. कलक्टर चतुर्थ को नही है। रिमाण्ड आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनने बाबत् कोई निर्देश नही दिये गये है। ग्राम पंचायत की पत्रावली को देखकर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.01.2018 में यह निर्देशित किया गया है कि न्यायालय अति0 कलक्टर, द्वितीय द्वारा दिनांक 16.03.2015 को पारित निर्णय में यह नही बताया है कि पट्टाधारक सीताराम को राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के किस नियम के तहत पट्टा आवंटित किया गया है। माननीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को ना तो शून्य घोषित किया ना ही पट्टा जारी किये जाने में अपनायी गई प्रक्रिया को गलत माना है। इस न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने के लिये इस बिन्दु पर निर्णय देना है कि ग्राम पंचायत द्वारा सीताराम के पक्ष में किस नियम के तहत पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली से यह स्पष्ट कि गैर–निगरानीकार को ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की धारा 152 के तहत निलामी में पट्टा जारी किया गया है, जो सम्पूर्ण प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है। धारा 152 के तहत ग्राम पंचायत निलामी द्वारा पट्टा जारी करने का अधिकार रखती है और इसी अधिकार और नियम के तहत गैर–निगरानीकार सं0 2 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो पूर्णतयाः वैधानिक है। गैर–निगरानीकार सं0 2 लम्बे समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। निगरानीदार का पट्टेशुदा भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा और ना ही है। निगरानीकार ने निगरानी में यह तथ्य अंकित किया है कि वादग्रस्त पट्टे की सम्पति पर प्रार्थीगण निगरानीकार के परिजनों का कब्जा रहा है एवं परिजनों में मौखिक बंटवारा हो जाने के कारण यह सम्पति निगरानीकार के हिस्से में आयी है। कानून अचल सम्पति का स्वामित्व रजिस्टर्ड विलेख द्वारा ही स्थानान्तरित हो सकता है। निगरानीकार ने मौखिक बंटवारें के संबंध में कोई समय व वर्ष भी अंकित नही किया है ना ही कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये है। पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकार के काबिज होने के कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण निगरानी निरस्त योग्य है। निगरानी में विचाराधीन भूमि गैर–निगरानीकार के स्वामित्व

Scanned by CamScanner

व कब्जे की भूमि है जहां वह परिवार सहित निवास कर रहा है। निगरानीकार ने विपक्षी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) क्रम 34 जयपुर महानगर मुख्यालय चाकसू द्वारा दिनांक 30.01.2014 को खारिज फरमा दिया गया है। माननीय सिविल न्यायधीश ने अपने निर्णय में पट्टेशुदा भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा व स्वामित्व माना है तथा निगरानीकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही मानकर निगरानीकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। निगरानीकार को वर्ष 2008 से प्रकरण की पूर्ण जानकारी है कि विपक्षी के पास भूमि का पट्टा है जिसे विपक्षी ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अतः निगरानीकार की निगरानी निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता के से अवलोकन किया। ग्राम पंचायत चन्दलाई वादग्रस्त पट्टे से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर–द्वितीय द्वारा दिनांक 16.03.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन सं0 5956/2015 हरिनारायण बनाम अति. कलक्टर जयपुर–द्वितीय व अन्य दायर की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2018 को निर्णय पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए ग्राम पंचायत चन्दलाई द्वारा दिनांक 03.03.2008 को जारी किये गये पट्टे के नियमानुसार जारी होने तथा वास्तविक भौतिक कब्जे की जांच करते हुए निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया है। विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह कथन किया है कि पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय द्वारा निर्णय पारित करने के कारण इस न्यायालय को निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नही है। पूर्व में अति. कलक्टर जयपुर–द्वितीय द्वारा ही निर्णय पारित किया गया था। अतः प्रकरण में अति. जिला कलक्टर जयपुर–द्वितीय द्वारा ही निर्णय पारित किया जा सकता है। इस संबंध में यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेशानुसार यह पत्रावली दिनांक 03.07.2019 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। जिसके कारण इस प्रकरण को इस न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वकील रेस्पोडेन्ट का आक्षेप निरस्तनीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.2018 से ग्राम पचांयत द्वारा दिनांक 03.03.2008 को जारी किये गये पट्टे की सुदृढ़ जांच कर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम पंचायत चन्दलाई की

Scanned by CamScanner

आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका/कार्यवाही विवरण पृथक–पृथक दिनांक अंकित करते हुए छपे हुई प्रफोर्मा में एक ही दिन में पूर्ण की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बयान फार्म भी एक साथ ही तैयार किये गये है। निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण में श्रीमती मूली देवी, श्रीमती रेखा देवी एवं श्री छोटूलाल के हस्ताक्षर है, जिनके द्वारा दिनांक 26.08.2014 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पट्टा जारी करने हेतु पंचायत सदस्यों (पंचगण) की निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण (मौका रिपोर्ट) दिनांक 05.02.2008 उनके द्वारा तैयार नही की गई है एवं तत्कालीन सरपंच उमराव देवी से मिलकर सीताराम बागडा पुत्र गोपीराम निवासी–चन्दलाई द्वारा खाली फार्म पर अंधेरे में रखकर उन सभी के हस्ताक्षर करवाये गये थे। उन्हे हस्ताक्षर करवाते वक्त रिपोर्ट बाबत् नही बताया था और वे सभी पंचगण मौके पर भी नही गए थे। उक्त शपथ पत्रों के आधार पर यह स्वतः ही स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करने संबंधी कार्यवाही वैधानिक रूप से नही की गई है। अपितु एक पक्ष को फायदा पहुचानें के लिये सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही स्थान पर बैठकर पूर्ण की गई प्रतीत होती है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में भौतिक कब्जा होने की स्थिति की जांच करने के निर्देश प्रदान किये गये है। जिसके संबंध में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ है कि निगरानीकारगण का ही काफी समय से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा रहा है। तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये विधि विरूद्ध तरीके से गैर–निगरानीकार को एकपक्षीय फायदा पहुचाने की दृष्टि से गैर–निगरानीकार सं0 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चन्दलाई द्वारा पट्टा जारी करने बाबत् पारित प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 03.03.2008 द्वारा गैर–निगरानीकार सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत चन्दलाई को रिमाण्ड किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर पुनः वादग्रस्त भूमि का भौतिक सत्यापन कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

30.9.19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

Scanned by CamScanner